

जजों को हटाने की प्रक्रिया

जजों को हटाने की प्रक्रिया



संवैधानिक प्रावधान

- सांबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से
- संविधान में 'महाभियोग' शब्द का प्रयोग नहीं, किंतु बोलचाल में प्रयुक्त
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये अनुच्छेद-124 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये अनुच्छेद-218 के तहत
- संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर

II

- न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
- लोकसभा में न्यूनतम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को अध्यक्ष को सौंपना या गणसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को सभापति को सौंपना।
- नोटिस के संबंध में अध्यक्ष/सभापति सूचना की जाँच कर सकता है।
- जाँच के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार किया जा सकता है।

प्रक्रिया



III

- जाँच के उपरांत समिति द्वारा अध्यक्ष/सभापति को रिपोर्ट सौंप दी जाती है।
- यदि रिपोर्ट में कदाचार या अक्षमता पाई जाती है तो हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और प्रस्ताव को विचार एवं चर्चा के लिये सदन के पटल पर रखा जाता है।

III

- प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की स्थिति में अध्यक्ष/सभापति द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 - समिति में
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
 - प्रख्यात न्यायिक विद्
 - समिति द्वारा आरोपों की जाँच
 - आरोप की लिखित प्रति आरोपित न्यायाधीश को भेजी जाती है और वह लिखित स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

IV

- हटाने के प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये।
 - ◆ सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और
 - ◆ सदन में उपरिक्त तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से
 - यदि प्रस्ताव को इस प्रकार के बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे दूसरे सदन के पास भेजा जाता है।
 - दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने के लिये आदेश जारी करते हैं।

II